

## चुनाव मुफ्त

### प्रलिस के लयल:

चुनाव चहलन (आरकषण और आवंटन) आदेश 1968 ।

### मेन्स के लयल:

फ्रीबीज के पकष में तरक, अरथवयवस्था पर फ्रीबीज का प्रभाव ।

## चरचा में क्यो?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जसमें भारत के [चुनाव आयोग \( Election Commission of India-ECI\)](#) द्वारा [चुनाव चहलन को ज़बत करने](#) या चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से "तरकहीन मुफ्त (irrational freebies)" का वादा करने या वतलरतल करने वाले राजनीतकल दल को अपंजीकृत करने का नरलदेश देने की मांग की गई है ।

- याचकलकल में यह तरक दयल गयल है कल राजनीतकल दलों द्वारा हाल ही में चुनावों को ध्यान में रखते हु मुफ्त उपहार देकर मतदाताओं को प्रभावतल करने की प्रवृत्तलन केवल लोकतांत्रकल मूल्यों के असतलतत्व के लयल सबसे बड़ा खतरल है बलकल संवधलन की भावना को भी चोट पहुँचलती है ।

## प्रमुख बडु

- भारतीय राजनीतलमें मुफ्त (Freebies) के बारे में:
  - राजनीतकल दल लोगों के वोट को सुरकषतल करने के लयल मुफ्त बज़लली / पानी की आपूरतल, बेरोज़गारों , दैनकल वेतनभोगी शर्मकलें एवं महललाओं, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट आदल को देने का वादा करते हैं ।
- याचकलकल के बारे में:
  - याचकलकलकर्तल का कहना है कल तरकहीन मुफ्त के मनमाने वादे स्वतंत्र और नषलपकष चुनाव हेतु चुनाव आयोग के जनादेश का उल्लंघन करते हैं ।
  - नजली वस्तुओं-सेवाओं का वतलरण जो सार्वजनकल उद्देश्यों के लयल नहीं हैं, सार्वजनकल धन से संवधलन के अनुच्छेद 14 (कानून के समकष समानता), 162 (राज्य की कार्यकारी शकतल), 266 (3) (भारत की संचतल नधल से वयय) और 282 (ववलकाधीन अनुदान) का स्पषट रूप से उल्लंघन करता है ।
  - याचकलकल में सर्वोच्च न्यलयालय से इस संबंध में एक कानून बनाने के लयल संघ को नरलदेश देने की भी मांग की गई है ।
  - इसने [चुनाव चहलन \(आरकषण और आवंटन\) आदेश, 1968](#) के प्रसंगकल पैराग्राफ में एक अतरकलत शरत जोड़ने के लयल चुनाव आयोग को नरलदेश देने की मांग की ।
    - यह एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता हेतु शरतों से संबंधतल है कल "राजनीतकल दल चुनाव से पहले सार्वजनकल नधल से तरकहीन मुफ्त का वादा / वतलरण नहीं करेगा" ।
- मुफ्त उपहारों/वादों के पकष में तरक:
  - अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक: भारत जैसे देश में जहाँ राज्यों में वकलस का एक नशलचितल स्तर है (या नहीं है), चुनावों के उद्भव पर लोगों की ओर से ऐसी उम्मीदें होती हैं जो मुफ्त के ऐसे वादों से पूरी होती हैं ।
    - इसके अलावा जब आस-पास के अन्य राज्यों के लोगों (वभलनलन सततारूढ दलों के साथ) को मुफ्त उपहार वतलरतल कयल जाते हैं तो तुलनातमक अपेक्षाएँ भी उत्पन्न होती हैं ।
  - कम वकलसतल राज्यों के लयल सहायक: गरीबी से पीड़तल आबादी के एक बड़े हसलसे के साथ तुलनातमक रूप से नमलन स्तर के वकलस वाले राज्यों के लयल इस तरह के मुफ्त उपहार आवश्यकता/मांग-आधारतल हो जाते हैं और लोगों को अपने स्वयं के उत्थान हेतु इस तरह की सबसडुडी की पेशकश करना आवश्यक हो जाता है ।
- मुफ्त उपहारों से संबंधतल मुद्दे:
  - आरथकल भार: यह राज्य के साथ-साथ केंद्र के खजाने पर भारी आरथकल बोझ डालता है ।
  - स्वतंत्र और नषलपकष चुनाव के वरुद्ध: चुनाव से पहले सार्वजनकल धन से अतारककल मुफ्त का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावतल करता है तथा चुनाव प्रकुरयल की शुद्धता को बाधतल करता है ।

- यह एक अनैतिक प्रथा है जो मतदाताओं को रशिवत देने के समान है।
- समानता के सिद्धांत के विपरीत: चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से नज्दी वस्तुओं या सेवाओं का वितरण, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये नहीं है, संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) शामिल है।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: वर्ष 2013 के एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमलिनाडु सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अवास्तविक चुनावी वादे और मुफ्त उपहार एक गंभीर मुद्दा है जो चुनाव में समान अवसर प्रदान करने की भावना का उल्लंघन करता है।
  - न्यायालय ने यह भी माना कि चुनावी घोषणा पत्र में वादों को जनप्रतिनिधित्व कानून या किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत "भ्रष्ट आचरण" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसलिये जब सत्ताधारी पार्टी राज्य विधानसभा में वनियोग अधिनियम पारित करके इस उद्देश्य हेतु सार्वजनिक धन का उपयोग करती है तो मुफ्त वितरण को रोकना संभव नहीं है।
  - न्यायालय ने कहा कि वर्तमान ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, जो चुनाव घोषणापत्र को प्रत्यक्ष तौर पर नरितरति करता हो और साथ ही न्यायालय ने चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से इस संबंध में दशिया-नरिदेश तैयार करने का नरिदेश दिया है।

## आगे की राह

- बेहतर नीतितगत पहुँच: वभिनिन राजनीतिक दल, जनि आरथिक नीतियों या वकिसास मॉडलों को अपनाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिये।
  - इसके अलावा वभिनिन दलों में ऐसी नीतियों के आरथिक प्रभाव की उचित समझ वकिसति करनी चाहिये।
- वविकपूरण मांग-आधारत मुफ्त सुवधिएँ: भारत एक बड़ा देश है और अभी भी ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।
  - देश की वकिसास योजना में सभी लोगों को शामिल करना भी ज़रूरी है।
  - मुफ्त या सब्सडी की वविकपूरण पेशकश, जसिे राज्यों के बजट में आसानी से समायोजित किया जा सकता है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगी और इसका लाभ आसानी से लोगों तक पहुँच सकेगा।
- 'सब्सडी' और 'मुफ्त' के बीच अंतर को स्पष्ट करना: आरथिक रूप से 'मुफ्त वितरण' के प्रभावों को समझने और इसे करदाताओं के पैसे से जोड़ने की ज़रूरत है।
  - 'सब्सडी' और 'मुफ्त' के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सब्सडी उचित और वशिष रूप से लक्षति लाभ है, जो मांगों से उत्पन्न होती है।
- लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना: लोगों को यह महसूस कराना चाहिये कि वे अपने वोट बर्बाद करके क्या गलती करते हैं। यदि वे वरिध नहीं करते हैं, तो वे अच्छे नेताओं की अपेक्षा नहीं कर सकते।

## स्रोत: द हट्टि